

Written by कुमार सौवीर  
Friday, 27 October 2017 00:11

: 00 0000 000000 000000 000000 00000 000000000 000000 000000000000 00 :00000 0000 00  
0000 000000000000 00 0000 0000000000 000000 00 00 000000 :00000000000 000000000000  
00 000000 00 000000 00 00000 00 00 0000000000000000 000000 0000 000000 00 :



000000 000000

00000000 :हरियाणा के पत्रकार आज बिना दारू के ही मस्तिष्क त है आज क बूंद भी नहीं चखी है इन पत्रकारों ने, लेकिन इसके बावजूद वे पूरी तरह टल ली हो चुके हैं। वजह है हरियाणा सरकार का वह ऐलान, जिसके तहत हर पत्रकार को अब हर महीने दस हजार रूपयों की अनविराय पेंशन दी जागी। शर्त सिर्फ यह होगी कि वह लगातार पांच बरस तक शर्मजीवी पत्रकार की भूमिका में कार्यशील रहा हो। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां पंचकूला में सूचना, जनसम्पर्क व भाषा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मासिक पेंशन योजना की शुरुआत करके 9 वयोवृद्ध पत्रकारों को पेंशन प्रदान की।

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दैनिक, संध्या, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र, समाचार जैसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जागी।

पात्रता मानदण्ड की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दैनिक, संध्या, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र, समाचार जैसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो और उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, पेंशन के पात्र होंगे। इसी प्रकार, मीडिया कर्मी की कम से कम पछिले पांच वर्षों से सूचना, जनसंपर्क व भाषा विभाग, हरियाणा से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

000000000000 00 000000 000000 00 000000 00 0000 00000000 00000 00 000000 000000 :-

[00000000 000000000000](#)

Written by कुमर सौवीर  
Friday, 27 October 2017 00:11

---

नयिम 0 वं शर्तों के बारे में उन्होंने बताया कि लाभार्थी मीडिया कर्मी के अपने बैंक खाते में पेंशन की रकम जमा करने के लिए 0 किसी भी राष्ट्रीय वृत्त बैंक में आधार लकिबचत बैंक खाता खोलना होगा और हर वर्ष जनवरी मास में इस आशय का 0 कप्रमाण पत्र देना होगा 0

उन्होंने बताया कि किसी अन्य राज्य सरकार या समाचार संगठन से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय प्राप्त कर रहे मीडिया कर्मी भी पात्र होंगे 0 बहरहाल, यदि कोई अन्य पात्र मीडिया कर्मी किसी अन्य राज्य सरकार से 10,000 रुपये प्रतिमास से कम राशि की पेंशन प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता में से वह राशि घटा दी जा 0 गी 0 लाभार्थी मीडिया कर्मी के नधिन के मामले में, मासिक पेंशन उसके पति/पत्नी (पत्नी या पति, जैसा मामला हो सकता है) को दी जायेगी, यदि उसे किसी भी संगठन या राज्य सरकार से वेतन/मेहनताना/पेंशन या कोई अन्य नयिमति वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है 0

0 कपत्रकर ने खट्टर के इस फैसले पर झूमते हुए 0 बताया कि- लो 10 हजार रुपये महीने का तो जुगाड़ कर दिया हरियाणा सरकार ने--बस छह महीने और चल जा 0 मेरी मान्यता तो हो जाउंगा पात्र (पांच वर्ष से हरियाणा सरकार की मान्यता है जरूरी) 0